न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ, अलवर

पीठासीन अधिकारी	:-	**नवीन सिंह गुर्जर, आर.जे.एस.**
मूल फौजदारी प्रकरण	:-	**427/2012**
एफआईआर सं०	:-	**42/2012 पुलिस थाना नौगांवा, अलवर**
सीआईएस नं०	:-	**427/2012**
सीएनआर नं०	:-	**RJAL290000142012**

राजस्थान राज्य **-अभियोजन**	**बनाम**	मौसमदीन पुत्र श्री दीनू खां, उम्र 36 साल, निवासी पाटा, थाना नौगांवा, जिला अलवर, राजस्थान **-अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति -

1. सहायक अभियोजन अधिकारी राज. सरकार की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री रहमान खां अभियुक्त की ओर से।

क्रं०सं०	**विवरण**	**दिनांक**
1	अपराध की तिथि	28-09-2012
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट	29-09-2012
3	चालान पेश करने की तिथि	24-11-2012
4	आरोप विरचित करने की तिथि	01-03-2017
5	साक्ष्य आरंभ करने की तिथि	08-06-2017
6	बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	24-02-2026
7	बहस सुनी जाने की तिथि	08-04-2026
8	निर्णय की तिथि	08-04-2026

निर्णय

दिनांकः- 08-04-2026

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी पी०ड० 3 द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 9 के आधार पर पुलिस थाना नौगांवा पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42/2012 में अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ है।

2. तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 9 के अनुसार उक्त प्रकरण के संक्षेपिततः तथ्य यह है कि दिनांक 28-09-2012 को समय 10.30 पीएम पर एचसी सुरताराम 525, मय कानि० धुंधकारसिंह 1353, कानि० कन्हैयालाल 911 के पुलिस चौकी सम्मनबास के सामने मुबारिकपुर नौगांवा रोड़ पर अवैध वाहन चैकिंग व नाकाबंदी की जा रही थी। वक्त 11.40 पीएम पर मुबारिकपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल नं० आरजे 31 एसडी 7677 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो आयी, जिसको बावर्दी रोकने

का इशारा देकर रूकवाया। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मौसम खां पुत्र दीनू खां, उम्र 25 साल, निवासी पाटा थाना नौगांवा होना बताया। चालक से उपरोक्त मोटरसाइकिल के कागजात के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। ना ही मोटरसाइकिल के मालिक के बारे में बताया। मोटरसाइकिल का लॉक टूटा हुआ है। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल शख्स मौसम खां के कब्ज में मिलने पर अपराध धारा 379, 411 आइपीसी का पाये जाने पर........आदि। उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42/2012 पुलिस थाना नौगांवा में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रांरभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों को परीक्षित करवाया गयाः-

क्रं०सं०	पी०डब्ल्यु०	नाम	दिनांक
1	पी०डब्ल्यु० 1	धुंधकार सिंह पुत्र श्री कालूराम	05-09-2024
2	पी०डब्ल्यु० 2	रोशनलाल पुत्र श्री विश्राम	06-03-2025
3	पी०डब्ल्यु० 3	सुरताराम पुत्र श्री रामप्रताप	03-04-2025
4	पी०डब्ल्यु० 4	सोहन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह	16-05-2025
6	पी०डब्ल्यु० 6	कन्हैयालाल पुत्र श्री रोशनलाल	14-01-2026

नोटः- प्रकरण में गवाह पी०डब्ल्यु० 5 सहवन से अंकित होने से रह गया है।

तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्रं०सं०	प्रदर्श	नाम	दिनांक
1	प्रदर्श पी० 1	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल हीरो होण्डा	28-09-2012
2	प्रदर्श पी० 2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मौसम	28-09-2012
3	प्रदर्श पी० 3	नक्शामौका घटनास्थल	01-10-2012
4	प्रदर्श पी० 4	मालखाना रजिस्टर प्रति	09-10-2012
5	प्रदर्श पी० 5	रवानगी	28-09-2012
6	प्रदर्श पी० 6	वापसी	29-09-2012
7	प्रदर्श पी० 7	प्रथम सूचना रिपोर्ट 617/2012	24-09-2012
8	प्रदर्श पी० 8	नक्शामौका	24-09-2012
9	प्रदर्श पी० 9	तहरीरी रिपोर्ट	29-09-2012
10	प्रदर्श पी० 10	प्रथम सूचना रिपोर्ट 42/2012	20-01-2012

5. साक्ष्य अभियोजन के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया। जिस पर अभियुक्त ने उसके विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है और उसे झूंठा फंसाया गया है एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अंत में अभियुक्त को धारा 379, 411 भा०द०सं० के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में घोर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभाष है। प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी गवाह भी नहीं है। प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जब्ती भी अभियुक्त से होना प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई सुदृढ़ तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चोरी की गतः अभियुक्त को धारा 379, 411 भा०द०सं० के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

8. उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। संपूर्ण पत्रावली एवं संबधित विधि का परिशीलन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उभयपक्षों के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु यह है किः-

- क्या दिनांक 28-09-2012 को समय 11.40 पीएम पर अभियुक्त द्वारा बिना वाहन स्वामी की सहमति के बेमानीपूर्वक आशय से उसकी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर सं० आरजे 31 एसडी 7677 को ले जाकर उसे चोरी किया या अभियुक्त के कब्जे से उक्त चुरायी हुई, मोटरसाइकिल बरामद की गयी?

विचारणीय बिंदु का विनिश्चयः-

9. उक्त विचारणीय बिंदु अभियोजन पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विनिश्चय का कारणः-

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अपराध को साबित करने हेतु दो उपचार उपलब्ध थे। पहला या तो प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा यह प्रमाणित किया जाता कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत मोटरसाईकिल चोरी की गई या फिर दूसरा प्रकरण में चोरी की गई मोटरसाईकिल की बरामदगी अभियुक्त से होना साबित किया जाता। उक्त संबंध में एफआईआर व पत्रावली का अवलोकन करते हैं तो न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण में अभियुक्त से प्रश्नगत मोटरसाईकिल की बरामदगी होने के आधार पर उसे हस्तगत प्रकरण में संलिप्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सामने आता है कि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा चोरी किये जाने के संबंध में एक भी चक्षुदर्शी साक्षी पेश नहीं किया गया है एवं अभियुक्त को उसके पास से तथाकथित रूप से प्रश्नगत मोटरसाइकिल बरामद होने के आधार पर हस्तगत प्रकरण में बतौर अभियुक्त संलिप्त किया गया है।

11. ऐसे में अभियुक्त द्वारा चोरी की जाने को प्रमाणित करने के संबंध में कोई साक्ष्य व आधार अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किये जाने से उक्त संबंध में किसी प्रकार का विवेचन किया जाना इस स्तर पर न्यायसंगत व आवश्यक प्रकट नहीं होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में मात्र जब्ती के आधार पर अभियुक्त को संलिप्त किया जाना सामने आता है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विचारणीय बिंदु को अपने पक्ष में प्रमाणित करने हेतु अभियोजन के पास जो एकमात्र उपचार उपलब्ध रह जाता है, वह यह है कि अभियुक्त से की गयी मोटरसाइकिल की तथाकथित जब्ती को प्रमाणित किया जाए। यदि अभियुक्त से चोरी हुई सम्पत्ति मोटरसाईकिल की जब्ती प्रमाणित हो जाती है तो ही अभियुक्त के विरूद्व धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्वरण के अनुसार उसके विरूद्व चोरी करने की उपधारणा कायम की जा सकेगी।

12. जब्ती कार्यवाही के प्रमाण से पूर्व सर्वप्रथम न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या जब्ती के समय उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल चोरी हुई संपत्ति थी या नहीं। धारा 410 भारतीय दंड संहिता के तहत चुराई गई संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार वह संपत्ति जिसका कि कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है अथवा वह संपत्ति जिसका कि आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग कारित किया गया है। चुराई गई संपत्ति कहलाती है। इस संबंध में सर्वप्रथम तो यहां यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है कि धारा 410 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार उक्त मोटरसाईकिल चोरी हुई सम्पत्ति होने के लिए उसके संबंध में चोरी की घटना की रिपोर्ट होना अतिआवश्यक था, जिस संबंध में पत्रावली पर पूर्व एफआईआर संख्या 617/2012 थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान अंतर्गत धारा 379 भा०दं०सं० प्रदर्श पी०7 उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त एफआईआर गवाह पी०ड०4 द्वारा दर्ज करायी गयी थी, उक्त एफआईआर में प्रश्नगत वाहन के इंजन नं० HA10EHB9A04470 व चेचिस नं० MBLHA10ADB9A03589 अंकित है तथा वाहन नंबर RJ 31 SB 7677 भी अंकित है, जबकि हस्तगत प्रकरण में जो वाहन जब्त करने के संदर्भ में फर्द जब्ती प्रदर्श पी०1 बनायी गयी है, उसमें मोटरसाइकिल स्पलेण्डर नं० RJ31 SD 7677, इंजन नं० HA10EHB9A204470 व चेचिस नं० MBLHA10ADB9A03539 अंकित है। उक्त से न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण में जो मोटरसाइकिल जब्त की गयी है, उसके वाहन नं०, इंजन नं०, चेचिस नं० गवाह पी०ड०4 द्वारा जिस मोटरसाइकल के संदर्भ में एफआईआर संख्या 617/2012 थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान प्रदर्श पी०7 दर्ज करायी गयी है, वह मोटरसाइकिल हस्तगत प्रकरण में जब्त मोटरसाइकल से भिन्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रश्नगत वाहन के असल दस्तावेजात तक को प्रदर्शित नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि हस्तगत प्रकरण एवं पूर्व प्रकरण से संबंधित वाहन हस्तगत प्रकरण में जब्त वाहन ही है एवं गवाह पी०ड०4 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रश्नगत वाहन का तथाकथित वाहन स्वामी बतौर पी०ड०4 परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से उसकी मोटरसइकिल के नंबर आरजे 31 एसबी 7677 होना जाहिर किया गया है, परंतु उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में जो वाहन जब्त किया गया है, उसके नंबर आरजे 31 एसडी 7677 फर्द जब्ती प्रदर्श पी०1 व प्रदर्श पी०9 के अनुसार है। ऐसे में न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में

प्रश्नगत वाहन जब्ती के समय चुरायी हुई संपत्ति की श्रेणी में आना गंभीर रूप से संदिग्ध प्रकट होता है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में यह ना तो प्रमाणित किया जाने का प्रयास किया गया है और ना ही प्रमाणित किया जा सका है कि बरवक्त जब्ती उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल चुराई हुई संपत्ति की श्रेणी में आती थी, क्योंकि वाहन के असल दस्तावेजात प्रदर्शित नहीं कराये गये हैं, जिससे यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गवाह पी०ड० 4 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है एवं हस्तगत प्रकरण में जब्त वाहन ही प्रदर्श पी० 1 में भी उल्लेखित है। खासकर वहां, जहां वाहन की पहचान पर उपरोक्त अनुसार प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुआ हो।

13. ऐसे में चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह स्थापित नहीं हो पाया है कि प्रश्नगत मोटरसाइकिल जब्ती के समय चुराई हुई संपत्ति थी तो ऐसे में उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त से जब्त होना प्रमाणित होने पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना कतई संभव नहीं है। हालांकि प्रकरण में तथाकथित वाहन स्वामी गवाह पी०ड० 4 द्वारा उसकी मोटरसाइकिल चोरी होना जाहिर किया गया है, परंतु न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में जब्त वाहन उक्त साक्षी का ही वाहन हो, स्थापित नहीं किया जा सका है, क्योंकि प्रश्नगत वाहन के असल दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं कराये गये हैं एवं गवाह के बयानों तथा प्रकरण में जब्त किये गये वाहन के नंबर में विरोधाभास भी प्रकट हुआ है। ऐसे में न्यायालय के मत में जो तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये प्रमाणित हो सकता है, उसके संदर्भ में मौखिक साक्ष्य का कोई अत्यधिक महत्व नहीं रह जाता है।

14. यदि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही व अभियोजन मामले के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का विश्लेषण किया जाए तो न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी०ड० 3 जोकि प्रकरण का परिवादी/जब्तीकर्ता/नक्शामौका का साक्षी भी है के द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में जाहिर किया गया है कि दिनांक 29.09.2012 को वह चौकी सम्मनबास पर एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन रात को 10.30 बजे पुलिस चौकी सम्मनबास के सामने अवैध वाहन चेकिंग व नाकाबंदी की जा रही थी। समय 11.40 पीएम पर मुबारिकपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे 31 एसडी 7677 हीरो होण्डा आई। जिसको रूकवाकर चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम मौसम निवासी पाटा होना बताया। मोटरसाइकिल के कागजात बाबत पूछा तो नही होना बताया। गहनता से पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चालक मौसम ने मोटरसाइकिल के मालिक का नाम पता नही होना बताया। मोटरसाइकिल चोरी की होना प्रतीत पाये जाने पर मोटरसाइकिल को बतोर वजह सबूत जरिये फर्द जब्त की व आरोपी मौसम को उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द मौके पर ही गिरफतार किया गया। तत्पश्चात जब्तशुदा मोटरसाइकिल व गिरफतार शुदा आरोपी को लेकर थाने पर आया व तहरीर पेश कर मुकदमा नंबर 42/12 धारा 379,411 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया। तहरीर रिपोर्ट प्र० पी 09 है जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मोटरसाइकिल हीरो होण्डा प्र० पी 01 व गिरफतारी प्र० पी 02 पर सी से डी उसके हसताक्षर व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर व ए से बी व जी से एच मोतबिरान के हस्ताक्षर है। नक्शामौका दिनांक 01.10.2012 को पुलिस ने उसके सामने रोशनलाल एचसी द्वारा

बनाया गया जो प्र० पी 03 है जिस पर जी से एच उसके हसताक्षर है। रवानगी वापसी प्र० पी 05 व प्र० पी 06 है।

15. इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी० 9 तहरीरी रिपोर्ट उसकी खुदकलमी है एवं उस पर जो तारीख लिखी हुई है, उस पर ऑवरराइटिंग की हुई है व लघु हस्ताक्षर किसी के नहीं है। आगे गवाह ने जाहिर किया कि प्रदर्श पी० 9 पर जो कार्यवाही पुलिस पर जो दिनांक अंकित है, उस पर भी ऑवरराइटिंग की हुई है, उस पर भी ऑवरराइटिंग की हुई है, उस पर कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है। आगे गवाह ने जाहिर किया है कि उस दिन उसके द्वारा कितने वाहनों की नाकाबंदी की गयी थी, आज याद नहीं है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 1 में इ से एफ भाग में मोटरसाइकिल चोरी की होना प्रतीत होता है, सही लिखा हुआ है, मुलजिम के द्वारा चोरी होने की बात नहीं बतायी। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयानों में इस बात का अंकन नहीं है कि मुलजिम के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को चोरी करके लाना बताया हो। वापसी में उन्होंने 12.30 बजे मुकदमा दर्ज करना जाहिर किया है। समस्त कार्यवाही में उन्हें करीब 02 घंटे लगे थे। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि नक्शामौका पर जो दिनांक अंकित है, उस पर भी ऑवरराइटिंग की हुई है, उस पर कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है।

16. प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी०ड० 1 जोकि जब्ती कार्यवाही का साक्षी है के द्वारा मुख्य परीक्षण में जाहिर किया गया है कि दिनांक 28.09.2012 को वह पीएस नौगांवा में कानि के पद पर तैनात था। उस रोज नौगांवा चौकी के सामने सुरताराम ने एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे 31 एसडी 7677 हीरो होण्डा स्पलेण्डर मौसम खां से पकडी उसको रोककर उससे पूछताछ की तो मोटरसाइकिल बाबत कोई कागजात नही मिले। तब उसके और कन्हैया लाल के सामने मोटरसाइकिल को जरिये फर्द जब्त किया गया जो प्र0 पी 01 है । फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी अभियुक्त मौसम खां प्र0 पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका प्र0 पी 3 है जिस भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो घटनास्थल पर बनाया था। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि चौकी नौगांवा पर चौकी इंचार्ज सुरताराम था। कन्हैयालाल कानि० व वह था। इसके अलावा और कोई हो तो उसे आज याद नहीं है। नाकाबंदी उस दिन 10 से 12 बजे तक चली थी। यह नाकाबंदी पुलिस चौकी सम्मनबास के सामने की जा रही थी। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि फर्दातों पर उसने सुरताराम जी के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। नक्शामौका उस समय बनाया था, जिस समय मुलजिम गिरफ्तार हुआ था। अजखुद कहा कि नक्शामौका दूसरे दिन बना था। फर्द जब्ती उसी दिन बनी थी। मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना किसको दी, उसे पता नहीं है। सूरताराम जी ने कितने बजे मुकदमा दर्ज कराया, आज याद नहीं है। मुकदमा उसी तारीख को दर्ज कराया था।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी०ड० 6 है, जिसके द्वारा मुख्य परीक्षण में जाहिर किया गया है कि दिनांक 28.09.2012 को वह पीएस नौगांवा में कानि के पद पर तैनात था। उस रोज नौगांवा चौकी के सामने सुरताराम ने एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे 31 एसडी 7677 हीरो होण्डा स्पलेण्डर मौसम खां से पकडी, उसको रोककर उससे पूछताछ की तो मोटरसाइकिल बाबत कोई कागजात नहीं मिले। तब उसके और धुंधकार के सामने मोटरसाइकिल को जरिये फर्द जब्त किया गया, जो प्र0 पी 01 है । फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी अभियुक्त

मौसम खां प्र0 पी 02 है जिस पर आई से जे व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका प्र0 पी 3 है जिस भी ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जो घटनास्थल पर बनाया था। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि उनके गश्त अधिकारी सुरताराम के कहने पर उसने फर्दातों पर हस्ताक्षर किये थे, क्योंकि उनके दिशानिर्देश में उन्हें कार्य करना पड़ता है। मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह को तलब नहीं किया, क्योंकि मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला था। उस दिन कितने वाहनों की नाकाबंदी की गयी, आज उसे ध्यान नहीं है। नाकाबंदी बेरीकेट लगाकर की जा रही थी या बिना बेरीकेट लगाये की जा रही थी आज उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि अधिक समय होने के कारण आज वह मुलजिमान को नहीं पहचान सकता। बाइक का हुलिया आज उसे ध्यान नहीं है।

18. उपरोक्त से न्यायालय के समक्ष आता है कि गवाह पी०ड० 3 द्वारा तहरीरी रिपोर्ट से भिन्न कथन करते हुए स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त ने वाहन चोरी का होना नहीं बताया था। गवाह को स्वयं को वाहन चोरी का होना प्रतीत हुआ। न्यायालय के मत में उक्त तथ्य तहरीरी रिपोर्ट व प्रकरण दर्ज करने के तथ्यों से पूर्ण रूप से विपरीत है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पूर्व में उल्लेखित कमियों के चलते अभियोजन मामले पर पड़ना स्वाभाविक है। उपरोक्त के अतिरिक्त गवाह पी०ड० 1 द्वारा मात्र वाहन के कागज नहीं होने पर उसे जब्त करने का कथन न्यायालय के समक्ष किया गया है तथा चोरी के अपराध के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सुसंगत कथन साक्षी द्वारा स्वयं से न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है। गवाह द्वारा नक्शामौका बनाने की दो दिवस भिन्न-भिन्न बताये गये है, जो दोनों ही प्रदर्श पी० 3 से विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह द्वारा पहले फर्द जब्ती बनायी जाना, फिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कथन न्यायालय के समक्ष किया गया है, परंतु उल्लेखनीय है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 2 दिनांक 28-09-2012 को 11.40 पीएम पर बनायी गयी है, जबकि फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 1 उक्त दिवस को 11.45 पीएम पर बनायी गयी है। न्यायालय के मत में पूर्ण प्रकरण जब्ती के आधार पर निर्धारित है, परंतु फर्द जब्ती फर्द गिरफ्तारी के पश्चात बनायी जाने से प्रकरण में की गयी समस्त कार्यवाही पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि जब तक प्रश्नगत वाहन चोरी का मानकर जब्त नहीं किया जाता तब तक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कोई युक्तियुक्त आधार पुलिस के पास नहीं था। उक्त तथ्य भी प्रकरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह द्वारा जब्ती नौगांवा चौकी पर होना बताया गया है, परंतु प्रदर्श पी० 9 व पी० 1 में जब्ती का स्थान सम्मनबास चौकी अंकित है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह अभियोजन मामले की ताईद ना कर उस पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन मामले पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त गवाह पी०ड० 6 द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में वाहन चोरी का होना या अभियुक्त द्वारा यह बताये जाने के संदर्भ में मात्रभर भी कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किये गये हैं एवं प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा स्वतंत्र गवाह को तलब नहीं किया जाना, उस दिन कितने वाहनों की नाकाबंदी की थी, उसे याद नहीं होना, नाकाबंदी कैसे की जा रही थी, नहीं बता पाना व अभियुक्त एवं मोटरसाइकल का हुलिया भी नहीं बता पाना जाहिर किया गया है। ऐसे में उक्त गवाह के कथनों से भी अभियोजन मामले की ताईद होना प्रकट नहीं होता है।

19. ऐसे में उपरोक्त तीनों साक्षीगण के कथनों से न्यायालय के समक्ष आता है कि तीनों साक्षीगण ने मुख्य रूप से अभियोजन मामले की ताईद नहीं की है एवं उनके कथनों में भिन्नता प्रकट हुई है। उक्त साक्षीगण के कथनों से न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण के सबसे अहम गवाहान द्वारा स्वयं के साथ गये जाप्ता सदस्यों से भी भिन्न कथन न्यायालय के समक्ष किये गये हैं। ऐसे में न्यायालय के मत में सबसे अहम साक्षीगण द्वारा कोई ठोस कथन नहीं करने से अभियोजन मामले पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

20. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी०ड० 2 है, जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29-02-2012 को वह पुलिस थाना नौगांवा में एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसे एफआइआर नंबर 42/12 धारा 379, 411 आईपीसी की एफआईआर मय फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी अनुसंधान हेतु एसएचओ साहब ने सुपुर्द की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 9 है, जिस पर ए से बी एसएचओ के हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर एफआईआर तैयार की गयी है, जो प्रदर्श पी० 10 है, जिस पर एएसआइ के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह साथ काम करने के कारण पहचानता है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि अनुसंधान में सबसे पहले उसने गवाहों के बयान उनके कहेनुसार लिये। मुलजिम से पूछताछ की। आगे गवाह ने स्वीकार किया कि मुलजिम का पूछताछ नोट न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पूछताछ के बाद उसने हनुमानगढ़ के एसएचओ साहब से संपर्क किया, उन्होंने वहां इसी मोटरसाइकिल से संबंधित चोरी का मुकदमा दर्ज होना बताया। आगे गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा जो गवाह बलवंत सिंह व सोहन सिंह के बयान लिये गये, उन बयानों में उन्होंने किसी मुलजिम का नाम नहीं बताया। आगे स्वीकार किया कि जिस समय पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु मिली थी, उस समय तहरीर रिपोर्ट पर समय और दिनांक पर ऑवरराइटिंग की हुई थी और उस पर किसी के लघु हस्ताक्षर नहीं थे। आगे गवाह ने स्वीकार किया कि धुंधकार और कन्हैया उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे। उसके कहने पर ही उन्होंने नक्शेमौके पर हस्ताक्षर किये थे। आगे स्वीकार किया कि उस समय पर उसके द्वारा जो दिनांक डाली हुई है, उस पर ऑवरराइटिंग की हुई है और उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है।

21. उक्त साक्षी के कथनों से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि गवाह द्वारा मुख्यतः प्रश्नों का प्रतिपरीक्षण में जवाब नहीं दे पाना जाहिर किया गया है तथा गवाह द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में लेखबद्ध किये गये बयानों व बनायी गयी फर्दों में अधिकतर स्थानों पर तारीख, महीने इत्यादि जैसी विशिष्टियों पर काफी हद तक कांट-छांट की गयी है, जिसके संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण गवाह के पास उपलब्ध नहीं है। गवाह स्वयं के द्वारा की गयी कार्यवाही के तथ्यों व परिस्थितियों के संदर्भ तक में स्पष्ट विवरण प्रकट करने में समर्थ नहीं है एवं अधिकतम तथ्यों से उसके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गयी है। गवाह द्वारा जिस एफआइआर प्रदर्श पी० 10 को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 9 के आधार पर दर्ज होना व उस पर एसएचओ के हस्ताक्षर होना जाहिर किया गया है, परंतु उल्लेखनीय है कि उक्त प्रदर्श पी० 10 हस्तगत प्रकरण से संबंधित ना होकर एफआइआर संख्या 42/2012 थाना रामगढ़ से संबंधित है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष आता है कि गवाह द्वारा पूर्ण रूप से संदेहास्पद कथन न्यायालय के समक्ष

किये गये हैं एवं हस्तगत प्रकरण से संबंधित एफआइआर के स्थान पर अन्य एफआइआर हस्तगत प्रकरण की तहरीर के आधार पर दर्ज होना जाहिर किया है, जो न्यायालय के मत में अत्यधिक गंभीर लापरवाही गवाह व अभियोजन अधिकारी की ओर से दर्शाता है। इसके अतिरिक्त गवाह द्वारा नक्शामौका के संदर्भ में जो कथन किये गये हैं, वे प्रकरण में बनाये गये नक्शामौका प्रदर्श पी० 3 से सटीक रूप से मेल नहीं खाते है, बल्कि उससे भिन्न होना भी प्रकट होते हैं। ऐसे में न्यायालय के मत में प्रकरण में अत्यधिक कमियां रही हैं, क्योंकि प्रकरण में जिस वाहन के आधार पर पूरा अभियोजन मामला तैयार किया गया है, उक्त वाहन के कोई दस्तावेजात अभियोजन की ओर से प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं कराये गये हैं एवं प्रकरण में जब्त की गये वाहन व वाहन स्वामी द्वारा स्वयं के बताये गये वाहन में गंभीर भिन्नता प्रकट हुई है एवं प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा तहरीर के आधार पर जो एफआइआर दर्ज होना बतायी गयी है, वह भी प्रकरण से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह द्वारा मुख्यतः प्रश्नों से अनभिज्ञता जाहिर की है एवं गवाह के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि गवाह ने गहनता से अनुसंधान ना कर जाप्ता सदस्यों द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को सही माना जाकर प्रकरण में अनुसंधान किया है।

22. प्रकरण में उपरोक्त के अतिरक्त अन्य कोई गवाहान परीक्षित नहीं कराए गए हैं और ना ही ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित किया गया है, जिससे यह साबित होना संभव हो कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन चुराया गया था या उससे जब्त हुआ था और ना ही यह साबित होना संभव है कि प्रश्नगत मोटरसाइकिल बरवक्त जब्ती चुरायी गयी संपत्ति थी। ऐसे में उक्त शेष समस्त साक्ष्य में अभियुक्त से जब्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल किस प्रकार चोरी की मानी गयी के संबंध में कोई युक्तियुक्त विवरण नहीं होने से उक्त शेष साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रकट नहीं होता है, क्योंकि न्यायालय के मत में यदि अभियुक्त से प्रश्नगत मोटरसाइकिल की जब्ती प्रमाणित हो जाती है तो भी हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित होना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कतई संभव नहीं है कि उक्त मोटरसाइकिल चुराई हुई संपत्ति थी, क्योंकि तथाकथित वाहन स्वामी पी०ड० 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने वाहन के नंबर हस्तगत प्रकरण में जब्त वाहन के नंबर से भिन्न बताये गये हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे मामले की सत्यता का पता चलता। अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण में ना तो अभियुक्त की और ना ही चुरायी गयी संपत्ति की नियमानुसार शिनाख्तगी करायी गयी है। जहां तक अभियुक्त द्वारा उक्त मोटरसाइकिल स्वयं चोरी की होना स्वीकार करने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि दौराने अनुसंधान पुलिसकर्मियों को किया गया कथन न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर विधि अनुसार ग्राह्य नहीं है और ना ही किसी साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य की पुष्टि की गयी है।

23. दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत कि अभियोजन को अपना पक्ष विश्वसनीय व सुदृढ साक्ष्य के जरिये संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। पूर्वोक्त साक्ष्य के विवेचन से दिनांक 28-09-2012 को समय 11.40 पीएम पर अभियुक्त द्वारा बिना वाहन स्वामी की सहमति के बेमानीपूर्वक आशय से उसकी मोटरसाइकिल

हीरो होण्डा स्पलेण्डर सं० आरजे 31 एसडी 7677 को ले जाकर उसे चोरी किया जाना या अभियुक्त के कब्जे से उक्त चुरायी हुई, मोटरसाइकिल बरामद होना, प्रमाणित होता प्रकट नहीं होता है।

24. ऐसे में न्यायालय के मत में जब अभियुक्त द्वारा चोरी किया जाना व चुराई हुई संपत्ति की अभियुक्त से जब्ती होना एवं प्रकरण में जब्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल बरवक्त जब्ती चोरी की होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पाया है तो ऐसे में यह कतई संभव नहीं है कि अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध किया जा सके। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णरूप से असफल होना प्रकट होता है। ऐसे में उक्त आरोपित अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

25. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त विचारणीय बिंदु के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर किए गए विनिश्चय के अनुसार अभियुक्त को धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

26. एतद्द्वारा **अभियुक्त मौसमदीन पुत्र श्री दीनू खां, उम्र 36 साल, निवासी पाटा, थाना नौगांवा, जिला अलवर, राजस्थान** को धारा 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

27. अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द.प्र.सं. के तहत जमानत मुचलके पूर्व में पेश किये जा चुके हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीदार के पास सुपुर्दगी पर है, जो उन्हीं के पास रहे। बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा की शर्ते स्वतः निरस्त समझी जावे।

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ़, जिला अलवर

28. निर्णय आज दिनांक 08-04-2026 को विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ़, जिला अलवर